न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **229/2021** दायर दिनाँक **26.08.2021**

वादीया		प्रतिवादीगण
1. अलमदो बानो पत्नि रमजान खां जाति कायमखानी उम्र 50 वर्ष निवासी चुगनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. घीसु खां पुत्र दीनदार खां 2. पूसे खां पुत्र दीनदार खां 3. बाबु खां पुत्र दीनदार खां 4. रमजान खां पुत्र दीनदार खां 5. इमरान पुत्र रमजान खां 6. फारूक पुत्र रमजान खां 7. हाकम अली पुत्र भंवरू खां 8. याकुब खां पुत्र भंवरू खां 9. मुंशी खां पुत्र भंवरू खां समस्त जातिगण कायमखानी निवासीगण चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौरा राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना नागौर।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री अशोक भाकर वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **04.10.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है यह है है कि खेत खसरा सं0 07 रकबा 1.4200 हैक्टे0, खसरा सं0 13 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 14 रकबा 4.6000 हैक्टे0 वाकै सरहद चुगनी पटवार क्षैत्र छापरी खुर्द में अवस्थित है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 एक ही परिवार के सदस्य है व उपरोक्त वर्णित खसरा भूमियां पैतृक व संयुक्त खातेदारी की है।मुकदमा पक्षकारान ने मौके पर अपने हिस्से में आयी सम्पतियों का बंटवारा कर रखा है व सींवे—नीवें कायम कर रखी0सं0 है व उसी अनुरूप मौके पर काबिज है व वर्षो से भोग उपभोग करते आ रहे है। मौके पर बंटवारा के अनुसार वादपत्र के साथ नजरी नक्शा पेश है जो अनुसूची 'अ' है जो वाद का अहम भाग है।

यह है कि वादीया के पति रमजान खां के हिस्से में दीनदार खां की सम्पति का 1/4 हिस्सा बंट में आया हुआ है व उसी अनुरूप कब्जा काश्त है। खसरा सं0 07 व 14 में से वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 का नाम उनके कब्जा काश्त अनुसार दर्ज कर प्रतिवादी सं0 07 ता 09 का नाम हटाया जाये। नजरी नक्शा अनुसूची अ के अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम दर्ज किया जावें व प्रतिवादी सं0 07 ता 09 का खसरा सं0 14 में उनके बंट में आये हिस्से में से वादीया व प्रतिवादी सं0 01 ता 06 का नाम हटाया जाकर बंटवारा किया जावें।

यह है कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 04 [illegible] कब्जा काश्त व बंट में आयी जायगा को अलग से अमल दरामद [illegible] में किया जावें तथा उनके हिस्से में आयी भूमि में से अन्य प्रतिवादीगण [illegible] प्रार्थना वादीया निम्न प्रकार है—

यह है कि खसरा सं0 07 रकबा 1.4200 हैक्टे0 व खसरा सं0 14 रकबा 4.6000 हैक्टे0 में से वाद मे साथ प्रस्तुत नजरी [illegible] अनुसूची 'अ' के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुसार बंटवारा कर वादीया व प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 के नाम खातेदारी की घोषणा की जावें व अन्य प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं0 01 ता 10 को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजुद तामिल अनुपस्थित अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। उपरोक्त खसरान् में नजरीनक्शा अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीया, नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा वाकै सरहद चुगनी के खेत खसरा सं0 07 रकबा 1.4200 हैक्टे0 व खसरा सं0 14 रकबा 4.6000 हैक्टे0 में से वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची 'अ' के अनुसार बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 के नाम खातेदारी की घोषणा की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 07 ता 09 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.10..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 229/2021 दायर दिनाँक 26.08.2021

वादीया		प्रतिवादीगण
1. अलमदो बानो पत्नि रमजान खां जाति कायमखानी उम्र 50 वर्ष निवासी चुगनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. घीसु खां पुत्र दीनदार खां 2. पूसे खां पुत्र दीनदार खां 3. बाबु खां पुत्र दीनदार खां 4. रमजान खां पुत्र दीनदार खां 5. इमरान पुत्र रमजान खां 6. फारूक पुत्र रमजान खां 7. हाकम अली पुत्र भंवरू खां 8. याकुब खां पुत्र भंवरू खां 9. मुंशी खां पुत्र भंवरू खां समस्त जातिगण कायमखानी निवासीगण चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौरा राज0। 10. तहसीलदार डीडवाना नागौर।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 04.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री श्री अशोक भाकर वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा वाकै सरहद चुगनी के खेत खसरा सं0 07 रकबा 1. 4200 हैक्टे0 व खसरा सं0 14 रकबा 4.6000 हैक्टे0 में से वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची 'अ' के अनुसार बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 के नाम खातेदारी की घोषणा की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 07 ता 09 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner